



आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p style="text-align: center;">न्यायालय, समाहर्ता पूर्णियाँ नामान्तरण पुनरीक्षण वाद संख्या-87/2011 <u>U/S 16, Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Records) Act, 1973</u></p> <p>1.महेन्द्र महतो, 2.कालीचरण महतो } तीनों के पिता- स्व० उमाकांत ठाकुर साकिन-इटहरी, थाना-धमदाहा, जिला-पूर्णियाँ</p> <p style="text-align: right;">.....आवेदक</p> <p style="text-align: center;">बनाम</p> <p>1.बिस्तु महतो, पिता-स्व० बलदेव महतो साकिन-इटहरी, थाना-धमदाहा, जिला-पूर्णियाँ</p> <p style="text-align: right;">.....विपक्षी</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदकगण भूमि सुधार उप समाहर्ता, धमदाहा के न्यायालय से वाद संख्या-2/2010-11 में पारित आदेश के विरुद्ध यह वाद दायर किया है। आवेदक का कथन है कि मौजा -इटहरी, खाता संख्या-408, खेसरा संख्या-1098, रकवा 10 डी०जमीन आवेदकगण के पिता भूधारी के अनुमति से वर्ष 1974 से ही घर बनाकर रह रहे है। तत्पश्चात आवेदक के पिता के नाम वासगीत पर्चा बना और उक्त जमीन की जमाबन्दी आवेदक के पिता के नाम जमाबन्दी संख्या-807 द्वारा दर्ज हुई। आवेदक के पिता लगातार वर्ष 2007-08 तक का मालगुजारी रसीद भी कटा चुके है। आवेदकगण बहुत गरीब है और अपनी जीविका के लिये पंजाब में मजदूरी करता है। वर्ष 2009 में आवेदक की शाली हेमिया देवी रसीद कटाने गयी तो पता चला कि जमाबन्दी संख्या-102/1993-94 द्वारा उपरोक्त जमीन का जमाबन्दी विपक्षी के नाम दर्ज है। आवेदकगण की अनुपस्थिति में हेमिया देवी अंचलाधिकारी, धमदाहा के न्यायालय में विविध वाद संख्या-3/2009-10 दायर की। अंचलाधिकारी द्वारा पुनः हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने भी आवेदकगण का प्रश्नगत जमीन पर दखल पाया। अंचल पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने का निर्देश देते हुए वाद को खारिज कर दिया। प्रश्नगत जमीन जिस जमीन का अंश है, उसका कुल रकवा 98 डी० है, जिसमें 10 डी० जमीन का पर्चा आवेदक के पिता के नाम से है। अतः शेष 88 डी० की जमाबन्दी विपक्षी के नाम होनी चाहिए थी। लेकिन 98 डी० का जमाबन्दी किया गया। विपक्षीगण आवेदक के जमाबन्दी सं०-807 को रद्द करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, धमदाहा के न्यायालय में वाद सं०-2/2010-11 दायर किया। निम्न न्यायालय द्वारा आवेदक के जमाबन्दी को रद्द करने का आदेश पारित किया गया, जो नियम के विरुद्ध है। निम्न न्यायालय में अंचल कार्यालय के अभिलेख एवं आदेश का अवलोकन नहीं किया गया। विपक्षी के नामान्तरण वाद सं०-102/1993-94 में भी आवेदक को सूचना नहीं दी गई। भूमि सुधार उप समाहर्ता को वासगीत पर्चा रद्द करने का भी अधिकार नहीं है। विपक्षी के नाम दिनांक-01.07.19.85 को किया गया केवाला भी गलत है, क्योंकि केवाला के</p>	

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>बहुत पूर्व से ही आवेदक के नाम प्रश्नगत जमीन का पर्चा बना हुआ था। आवेदकगण बहुत गरीब एवं प्रश्रय प्राप्त रैयत है। अतः आवेदक इस न्यायालय से अनुरोध करता है कि वाद की सुनवाई कर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की कृपा की जाय।</p> <p>पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 14.05.2012 को उभय पक्षों को सुना गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा अंचलाधिकारी के न्यायालय में पारित आदेश के विरुद्ध विद्वान भूमि सुधार उप-समाहर्ता के न्यायालय में वाद दायर किया। विपक्षी द्वारा निम्न न्यायालय में दाखिल-खारिज अपील वाद संख्या तक भी नहीं लिया गया। अंचलाधिकारी के आदेश न्याय संगत होने के बाद भी विद्वान भूमि सुधार उप-समाहर्ता द्वारा इसे खारिज करते हुए विपक्षी के पक्ष में आदेश पारित किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा आवेदक को वासगीत पर्चा के माध्यम से जमीन प्राप्त होने के तथ्य को नजर अन्दाज किया गया।</p> <p>विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विवादित जमीन उनके दखल-कब्जा में है एवं यह जमीन कृषि योग्य जमीन है। इसमें किसी तरह का मकान निमित्त नहीं है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि निम्न न्यायालय में आवेदक के द्वारा वासगीत पर्चा संबंधी विवरणी समर्पित नहीं किया गया है। आवेदक के पास 10 (दस) एकड़ से भी ज्यादा जमीन है। विपक्षी का यह भी कहना है कि विद्वान भूमि सुधार उप-समाहर्ता के द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण किया गया एवं उनका दखल-कब्जा के आधार पर ही दाखिल-खारिज में आदेश उनके पक्ष में हुआ।</p> <p>उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा उभय पक्ष को सुनने के बाद स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। इसमें किसी तरह की हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इस आदेश के साथ वाद को समाप्त किया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> समाहर्ता, पूर्णियाँ</p> <p> समाहर्ता, पूर्णियाँ</p>	